फर्द अहकाम

चैनाराम बनाम हनुमान व अन्य

सहायक कलक्टर
नाम न्यायालय जयपुर शहर प्रथम

केस संख्या दफा 124/22

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	20-1-26.	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11, सि० प्र० सं. पेश हुयी है। उभयपक्ष अधिवक्तागण हाजिर हैं। प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 ने प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए दौराने बहस कथन किया कि वादी द्वारा बाबत् घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश कर अनुतोष चाहा है कि ग्राम निवारू, तह० व जिला-जयपुर के खसरा नम्बर 227 रकबा 7.30 हे० में से हिस्सा 1/80 की घोषणा की जावे, जबकि वादी उक्त वादग्रस्त आराजी में पहले से ही 1/80 हिस्से	

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम

सहायक कलक्टर
नाम न्यायालय जयपुर शहर प्रथम   औंकार बनाम हनुमान व अन्य

केस संख्या 9(गप)/129/22

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	
	28.11.23	का खातेदार काश्तकार होकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रार्थी ने यह भी कथन किया कि वादी को प्रतिवादी सं-1/प्रार्थी के विरुद्ध कोई वाद-कारण भी उत्पन्न नहीं हुआ अतः विधि द्वारा बाधित होने के कारण एवं वाद-कारण के अभाव में प्रार्थी का प्रा०पत्र स्वीकार किया जाकर, वादी का वाद खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थी / वादी ने अपनी बहस में जबावी कथनों की पुनरावृत्ति करते हुए कथन किया कि वादी ने 1/80 हिस्से की खातेदारी घोषणा का अनुतोष न्यायालय से चाहा है, जिसे	

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम

सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम ... बनाम ...

नाम न्यायालय

केस संख्या ... /2022

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	20/1/25	कि प्रार्थी / प्रतिवादी सं-1 द्वारा विधि द्वारा वर्जित होने के आधार पर खारिज किए जाने की मांग की गयी है, जो गलत है। विवादित भूमि राजस्व रिकॉर्ड में कृषि भूमि ही है एवं कृषि भूमि के सम्बन्ध में खातेदारी घोषणा राजस्व न्यायालय द्वारा ही की जाती है। अत: प्रार्थी / प्रतिवादी सं-1. के O7R11 CPC के प्रार्थना-पत्र को खारिज फरमाया जावे। उभयपक्षकारानों की बहस, पेश न्यायिक दृष्टान्तों एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात	

फर्द अहकाम

सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम [illegible] बनाम हनुमान [illegible]

नाम न्यायालय

केस संख्या [illegible] -123/22

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	28/11/25	का अवलोकन करने पर न्यायालय यह पाता है कि वादी ने यह दावा बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया है। वादी ने वाद-पत्र के चरण संख्या -11 (क) में यह अनुतोष चाहा है कि विवादित आराजी में वादी को 1/80 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। जबकि वादी द्वारा पेश जमाबंदी संवत 2076-2079 में वादी 1/80 हिस्से का खातेदार-काश्तकार पहले से दर्ज है। दूसरा, वादी ने वाद के चरण

सहायक [illegible]

फर्द अहकाम

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

सीताराम बनाम हनुमान वगैरह

प्रकरण 129/22

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
28/1/25	संख्या 11(ख) में यह अनुतोष मांगा है कि प्रतिवादी नं-1, विवादित आराजीयात खसरा नं. 227 रकबा 7.30 हे० ग्राम निवारू, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र-झोटवाड़ा, तह० व जिला जयपुर में वादी के रिकॉर्डेड हक व हिस्से 1/80 के भू-भाग पर कोई बाधा उत्पन्न न करे, स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। यहाँ यह स्पष्ट करना समीचीन है कि उक्त विवादित भूमि Co-Tenancy की भूमि है, जिसमें वादी द्वारा पेश जमाबंदी के मुताबिक (68) सहखातेदार रिकॉर्डेड दर्ज है। वाद केवल	

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

[illegible] बनाम [illegible]

केस संख्या [illegible]

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	28/11/25	एक सहखातेदार ने प्रस्तुत किया है तो जब तक उक्त विवादित भूमि का विभाजन नहीं हो जाता, वादी का पृथक से 1/80 कौनसा है, इसका निर्धारण नहीं हो जाता, तब तक यह स्पष्ट करना सम्भव नहीं है कि वादी उक्त विवादित भूमि में कौनसे 1/80 भाग पर प्रतिवादी सं-1/प्रार्थी को स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द करवाएंगे। तृतीय, जब तक वादी का 1/80 भाग specify नहीं है तब तक इसका निर्धारण भी सम्भव नहीं है कि प्रतिवादी सं-1/प्रार्थी ने कौनसी भूमि पर कब्जा

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम

चौकाल बनाम हनुमान वगै०

Gram - 28/01

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
28/1/25	करने की कोशिश की। इस प्रकार वादी/प्रार्थी यह सिद्ध करने में विफल रहा है कि प्रतिवादी सं-1/प्रार्थी उक्त विवादित अविभाजित भूमि के कौनसे 1/80 भू-भाग पर निर्माण या कब्जा करने पर आमदा है। अर्थात् वादी वाद-कारण को साबित नहीं कर पाया है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रा०पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11, सि० प्र०सं० स्वीकार किया जाकर वाद के कारण के अभाव में वादी का वाद खारिज किया जाता है। फैसला आज दिनांक 28/1/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। Sd/-	

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम — धीगला बनाम हनुमान बगैरा

केस संख्या 9101 - 12/22

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	28/11/25	पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम